न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, (पीलीभीत)

परिवाद संख्या–547/2019

जावेद अली खान ––––––बनाम––––––पुनीत सक्सेना।

दिनांकः 20.01.2021

पत्रावली आज आदेशार्थ प्रस्तुत। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना गया है एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी भारत बिक्र फील्ड के नाम से ईट भटटा चलाता है। उसने दिनांक 28.06.2011 से दि0–04.03.2013 तक पुनीत सक्सेना को 3,19,500 ईट दी थी । उपरोक्त ईट की कीमत लगभग 15,63000/–रूपये बनती है जिसमें प्रतिवादी ने 7,04,500/–रूपये उसके पास जमा कर दिया । बाकी बचा हुआ रूपया 8,58,500/–रूपये काफी तकादा करने के बाद भी नहीं दिया । वह इससे पहले भी प्रतिवादी को ईट का आदान प्रदान करता चला आ रहा था । इसी बीच उसने वादी को दिनांक 20.07.2015 को 20,000/–रूपये का चेक दिया फिर दिनांक 28.07.2015 को 25,000/–रूपये का एक चेक दिया । उपरोक्त चेकों को बैंक में लगाने से चेक का भुगतान नहीं हुआ । परन्तु उपरोक्त ईट के बावत प्रतिवादी ने वादी के साथ धोखाधडी एवं छलकपट करके उपरोक्त ईट उसके भटटे पर से उठवा ली । जब उसने प्रतिवादी से कई बार फोन द्वारा बाकी रूपया अदा करने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने आज देगे–कल देगें करके वक्त जाया कर दिया । इसी दरमियान वह दिनांक 28.07.2018 को बम्भनपुर, निघासन, जिला लखीमपुर खीरी प्रतिवादी के पास गया और अपना पेमेंट मांगा परन्तु उसने देने से मना कर दिया और मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी और भविष्य में बकाया रूपया मांगने पर जान से मारने की धमकी दी ।

परिवादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 का बयान अंकित कराया और परिवाद कथानक के समर्थन में उसकी ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू01 सरताज हुसैन व पी0डब्लू02 राम भजन को परीक्षित कराया गया है, जिन्होनें अपने सशपथ साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 से परिवाद कथानक का समर्थन किया है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रकिया संहिता में कथन किया है कि *पुनीत सक्सेना ने हमारे भट्टे से दिनांक 28.06.11 से दिनांक 04.03.2013 तक ईटें खरीदी थी, इन्होनें 31,9,500 ईट 15,63000/– रू0 में खरीदी थी जिसमें से इन्होनें 7,04,500/– रू0 हमें दे दिये थे , 8,58,500/– रू0 बाकी रह गये थे। इसके बाद इन्होनें दि0 20.07.15 को 20,000/– रू0 का चेक दिया जिसका भुगतान नहीं हुआ । दिनांक 28.07.2018 को हम पुनीत के गांव पैसे लेने गये तो इन्होनें पैसे नहीं दिये और गन्दी–गन्दी गालियां दी और दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी । थाने जाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी,* जिसका समर्थन परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षियों द्वारा भी अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दं0 प्र0 सं0 में किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी पुनीत सक्सेना द्व ारा परिवादी को बाकी 8,58,000/–रू0 मांगने पर न देने, उसे गंदी–गंदी गालियां देने व दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बंध में तलब किया

जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिवादी की परीक्षा अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्षीगण की परीक्षा अन्तर्गत 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विचार करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि विपक्षी पुनीत सक्सेना को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406,504,506 के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त पुनीत सक्सेना को धारा 406,504,506 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया जाता है। परिवादी अन्दर सप्ताह प्रोसेस फीस व सूची गवाहान दाखिल करे तत्पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध सम्मन जारी हो।

पत्रावली वास्ते हाजरी अभियुक्त दिनांक 22.02.2021 को पेश हो।

दिनांक 20.01.2021
महेन्द्र पाल

(अनुपम सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर,पीलीभीत।

Digitally signed by Anupam Singh
Date: 2021.01.21 17:37:35 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge J.D./J.M.
Bisalpur. Pilibhit.